

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश, भोपाल

क्रमांक 241 / प्र.अ. / मानि. / 09
प्रति,

भोपाल, दिनांक 01.04.09

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
परिक्षेत्र- भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/वि./यां.

समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश

समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश

विषय:- वित्तीय वर्ष 2009-10 में किये जाने वाले कार्य

वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रत्येक कार्यक्रम के लिए वे ही लक्ष्य होंगे जिनका अनुमोदन राज्य योजना आयोग द्वारा जिला योजनाओं की स्वीकृति के अंतर्गत किया गया है। इन लक्ष्यों के अनुरूप प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यवाही जाना है।

आगामी 4 माह के लिए स्वीकृत किये गये लेखानुदान के अंतर्गत विभिन्न मदों में प्राप्त धनराशि के अंतर्गत जिलेवार आवंटन पृथक से जारी किया जा रहा है।

वर्तमान में आचार संहिता की अवधि में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विभागों द्वारा निर्वाचन आयोग को संदर्भित किये बिना ऐसे सभी कार्यों को जारी रखा जा सकता है जिनकी समस्त स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं तथा ग्राउन्ड पर जिनके कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। इसके साथ ही सूखे की अवधि में कार्यों को किये जाने के संबंध में मध्य प्रदेश, निर्वाचन आयोग द्वारा जो स्वीकृति उनके पत्र क्र. 2009/4-क/3402/दिनांक 26.03.09 द्वारा दी गई है, उसकी प्रतिलिपि भी सभी मुख्य अभियंताओं को भेजी गई है तथा इसके कार्य भी किये जा सकते हैं।

आचार संहिता की अवधि में नये नलकूपों के खनन के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा जो ग्रामवार सूचियां चाही गई हैं उन्हें भेजने के संबंध में भी पृथक से निर्देश दिये गये हैं एवं मुख्य अभियंताओं से जिलेवार सूचियां प्राप्त होने पर उन्हें भी अनुमोदन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा व उनकी अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ऐसे कार्यों को भी किया जा सकेगा। इस प्रकार किये जाने वाले सभी कार्यों के लिए सूखा राहत मद के अंतर्गत पृथक से कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी एवं विभिन्न योजना मदों में जो आवंटन दिया जा रहा है, उसी आवंटन से सूखे की अवधि में ऐसे विभिन्न कार्यों को किया जाना होगा।

21/4/09
(सुधीर सक्सेना)

प्रमुख अभियंता

भोपाल, दिनांक 01.04.09

पृ.क्र. / पी.ए. / प्र.अ. / मानि. / 09
प्रतिलिपि:-

प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर
सूचनार्थ अग्रेषित।

1-
प्रमुख अभियंता